संख्या–1105/सत्तर–6–2014–2(97)/2014

प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 331 /रा०उ०शि०प०/20
दिनांक 18-9-14

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 01 अगस्त, 2014

विषयः महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोले जाने तथा स्थापित महाविद्यालय/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों व विषयों को प्रारम्भ किये जाने हेतु राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 यथासंशोधित की धारा–37 (2) के परन्तुक के अधीन पूर्वानुमति दिये जाने की व्यवस्था थी। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सत्र, 2014–2015 हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 10–07–2014 में विचार किया गया। उक्त समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम–2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है।

3– उक्त के दृष्टिगत सम्बद्धता समिति की संस्तुति की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बद्धता के आदेश अपने स्तर से निर्गत किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें ताकि सत्र, 2014–2015 के संचालन में व्यवधान उत्पन्न न हो।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त।

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–1105(1)/सत्तर–6–2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर/लखनऊ/इलाहाबाद।
(3) सचिव/प्रबन्धक, संबंधित समस्त महाविद्यालय।
(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र०शासन।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

18/09/14

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोले जाने तथा स्थापित महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों व विषयों को प्रारंभ किये जाने हेतु सम्बद्धता के प्रस्तावों पर विचार किये जाने के लिये दिनांक 10 जुलाई, 2014 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोले जाने तथा स्थापित महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों व विषयों को प्रारंभ किये जाने आदि के संबंध में महाविद्यालयों/संस्थानों को दिये जाने वाले सम्बद्धता के प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–2527/सत्तर–2–2008–2(166)/2002, दिनांक 10 जून, 2008 के द्वारा विभागीय समिति का गठन निम्नवत् किया गया है:–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन — अध्यक्ष
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन — सदस्य
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद — सदस्य
4. संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव — सदस्य
5. संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी — सदस्य

(2) दिनांक 10–07–2014 को उपर्युक्त समिति के समक्ष छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से प्राप्त सम्बद्धता के प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालयों/संस्थानों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति आख्या एवं मन्तव्य पर समिति द्वारा विचार किया गया। नीचे तालिका के स्तम्भ–2 में अंकित महाविद्यालय के सम्बन्ध में तालिका के स्तम्भ–4 में समिति का मन्तव्य अंकित है:–

1	2	3	4
क0	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम/विषय तथा विश्वविद्यालय की संस्तुति	समिति का मन्तव्य/संस्तुति
1.	महेन्द्र प्रताप सिंह महाविद्यालय, चिन्तामनपुर, फूलपुर, इलाहाबाद	बी0ए0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों की पूर्ति की शर्त के अधीन दिनांक 01–07–2014 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति:– 1– प्राचार्य तथा याचित पाठ्यक्रम के समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषय के प्रवक्ता विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है। 2– सत्र 2013–14 का मानकानुसार परीक्षाफल उपलब्ध नहीं है।
2.	पटेल डिग्री कालेज, अलियापुर, सजेती, कानुपर नगर	एम0ए0 (समाजशास्त्र) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी दो वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति:– 1– शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है।
3.	दयानन्द दनकू परागा ज्ञान उदय महाविद्यालय, मुरलीपुर, घाटमपुर, कानपुर नगर	एम0ए0 (समाजशास्त्र) (प्रपत्र–बी)	–तदैव–
4.	दयानन्द दनकू परागा ज्ञान उदय महाविद्यालय, मुरलीपुर, घाटमपुर, कानपुर नगर	बी0कॉम0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति:– 1– याचित पाठ्यक्रम हेतु शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं हैं।
5.	माँ सुमेरा देवी बालिका महाविद्यालय, मुलई का पुरा, बाबूगंज, फूलपुर, इलाहाबाद	बी0ए0 (प्रपत्र–बी)	–तदैव–

6.	श्री पं0 यज्ञ नारायण दुबे स्मारक महाविद्यालय, लतीफपुर बरना, फूलपुर, इलाहाबाद	बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	–तदैव–
7.	सावित्री देवी महिला महाविद्यालय, सोनाई, करछना, इलाहाबाद	बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	–तदैव–
8.	किशोरी लाल महादेई विधि महाविद्यालय, पुरवा, पतेवरा, नैनी, इलाहाबाद	एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय) (प्रपत्र–बी)	–तदैव–
9.	चौ. महादेव प्रसाद सिताबी देवी विधि महाविद्यालय, रितुकला, कन्नौज	एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– प्राचार्य व शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है।
10.	सांई मीर डिग्री कालेज, फर्रूखाबाद रोड, छिबरामऊ, कन्नौज	बी0ए0 तथा बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	–तदैव–
11.	श्री काशी महाविद्यालय, रामगढ़ी, सिकन्दरा, कानपुर देहात	बी0ए0 तथा बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	–तदैव–
12.	सुमनरानी इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, खजुहा, दौलतपुर, फफूंद, औरैया	बी0ए0 तथा बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	–तदैव–
13.	राव बलवीर सिंह रणवीर सिंह महाविद्यालय, सकरावा, सौरिख, कन्नौज	बी0ए0 तथा बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	–तदैव–
14.	विश्राम सिंह महाविद्यालय, दुर्गागंज, बिलग्राम हरदोई	बी0ए0 तथा बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	–तदैव–
15.	आदित्य सिंह बटेश्वर दयाल मेमोरियल महाविद्यालय, दौलतयारपुर, माधोगंज, हरदोई	बी0ए0 (गृह विज्ञान एवं भूगोल अतिरिक्त विषय) (प्रपत्र–बी)	–तदैव–
16.	राजेश्वरी अनिल कुमार महाविद्यालय, शाहपुरगंगा, मल्लावां, हरदोई	बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	–तदैव–
17.	महावीर प्रसाद मायावती महाविद्यालय, दौलतयारपुर, माधोगंज, हरदोई	बी0ए0 तथा बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	–तदैव–

18.	श्री तारा सिंह महिला महाविद्यालय, फर्रूखाबाद	बी0ए0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– महाविद्यालय में प्राचार्य तथा याचित पाठ्यक्रमों के विषयों हेतु शिक्षक अनुमोदित नहीं है। 2– महाविद्यालय के नाम संचालित खाते (ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त) में ₹ 5,96,000/– जमा होने का जो अभिलेख संलग्न किया गया है वह स्पष्ट नहीं है।
19.	चौ0 मोहर सिंह महाविद्यालय, मन्सुख पुर्वा, बरियामऊ, कन्नौज	बी0ए0 (भूगोल, संस्कृत व गृह विज्ञान अतिरिक्त विषय) तथा एम0एससी0 (गणित व वनस्पति विज्ञान विषय) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से स्नातक पाठ्यक्रम में आगामी तीन वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम में दो वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– महाविद्यालय में याचित पाठ्यक्रम के विषयों में शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है। 2– एन.बी.सी. प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी से निर्गत नहीं है तथा अग्निशमन प्रमाणपत्र अद्यतन नहीं है । 3– विगत तीन वर्षो का परीक्षाफल प्रमाणपत्र संलग्न नहीं है । 4– महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख संलग्न नहीं है ।
20.	श्रीमती ऊषा देवी बालिका महाविद्यालय, रूरूकलां, रूरूगंज, अछल्दा, औरैया	बी0ए0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– प्राचार्य व याचित पाठ्यक्रम हेतु शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है। 2– एन0बी0सी0 सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है। 3– प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं है।
21.	एच0एस0ए0 डिग्री कालेज, रजीपुर, कमालगंज, फर्रूखाबाद	बी0ए0 (अंग्रेजी साहित्य एवं उर्दू अतिरिक्त विषय) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– संयुक्तता प्रमाणपत्र एवं नजरी नक्शा की संलग्न प्रति तहसीलदार से प्रमाणित नहीं है। 2– शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है । 3– प्राचार्य एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों मे अनुमोदित शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक द्वारा किये जाने के प्रमाणित अभिलेख संलग्न नहीं है । 4– अग्निशमन प्रमाणपत्र अद्यतन नहीं है।
22.	पं0 बालकृष्ण कृष्णा कुमारी मेमोरियल महाविद्यालय, इंटखारी तिर्वा, कन्नौज	बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– महाविद्यालय में प्राचार्य व याचित पाठ्यक्रमों में शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है। 2– ₹50/– के शपथपत्र पर प्रबन्ध तन्त्र द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र संलग्न नहीं है। 3– प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं है।
23.	शिवपाल सिंह महाविद्यालय, कैस्त, जसवन्त नगर, इटावा	(बी0एससी0) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– याचित पाठ्यक्रम के विषयों में शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है। 2– संचालित पाठ्यक्रम में अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों का वेतन भुगतान बैंक द्वारा किये जाने के प्रमाणिक अभिलेख संलग्न नहीं है।

33.	कल्पनानन्द बालिका महाविद्यालय, शाहजहाँपुर, इटावा	(सहशिक्षा)	सहशिक्षा में परिवर्तित किये जाने हेतु संस्तुत।
34.	श्री शिव दयाल पाल महाविद्यालय, सेमरा चौराहा, हरदोई	बी0ए0 (इतिहास एवं गृह विज्ञान अतिरिक्त विषय) तथा बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– महाविद्यालय में याचित पाठ्यक्रम के विषयों हेतु शिक्षक अनुमोदित नहीं है। 2– पूर्व संचालित बी०ए० पाठ्यक्रम में अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, संविदा आदि संलग्न नहीं है।
35.	नारायण बालिका महाविद्यालय, बावन, हरदोई	बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– महाविद्यालय में प्राचार्य तथा याचित पाठ्यक्रमों के विषयों हेतु शिक्षक अनुमोदित नहीं है। 2– याचित पाठ्यक्रम हेतु संस्था के नाम संचालित खाता में जमा धनराशि का अद्यतन अभिलेख संलग्न नहीं है।
36.	श्री रविनाथ सिंह लॉ कालेज, फर्रूखाबाद	एलएल०बी० (त्रिवर्षीय) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1–महाविद्यालय में प्राचार्य विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है। 2– अनुमोदित शिक्षको के नियुक्ति पत्र, संविदा, कार्यभार ग्रहण संलग्न नहीं है। 3– अग्निशमन का प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं है।
37.	अमर शहीद राव राम बक्स सिंह महाविद्यालय, गौरा बिहार, उन्नाव	बी0ए0 (गृह विज्ञान, इतिहास एवं भूगोल अतिरिक्त विषय) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है। 2– पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/विषयों के शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या एवं अनुबन्ध पत्र संलग्न नहीं है। याचित पाठ्यक्रम के प्रवक्ता विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है। 3– महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम के प्राचार्य एवं शिक्षकों के वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने का प्रमाणिक अभिलेख संलग्न नहीं है। 4– सम्बन्धित विषयों हेतु प्राभूति धनराशि ₹ 1,50,000/– जमा का प्रमाणिक अभिलेख संलग्न नहीं है।
38.	पं0 लालता प्रसाद रामकृष्ण महाविद्यालय, शान्ती नगर, पारा, मौरावी, उन्नाव	बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है।
39.	शिव शक्ति गर्ल्स डिग्री कालेज, महमूदाबाद, सीतापुर	बी0ए0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– प्राचार्य व शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है। 2– महाविद्यालय की चहारदीवारी की दो दीवार व एक व्याख्यान कक्ष में प्लास्टर नहीं है एवं दो व्याख्यान कक्ष में फर्श निर्मित नहीं हैं। 3– प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं है।

(4) समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गयी है कि:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. उपरोक्त सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. विधि पाठ्यक्रमो में महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल आफ इंडिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे।

डा0 (इन्दू सक्सेना) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।	(अवध नारायण सिंह यादव) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद।	डॉ0 (राम सहाय) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ
(सैय्यद वकार हुसैन) कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।	डा0 (महेन्द्र राम) निदेशक, उच्च शिक्षा	(बी0बी0 सिंह) विशेष सचिव।

(नीरज कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव

24.	श्री बाबू सिंह लॉ कालेज, खंदिया, मऊदरवाजा, फर्रूखाबाद	एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– महाविद्यालय में प्राचार्य एवं याचित पाठ्यक्रम हेतु शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है।
25.	आर0आर0 महाविद्यालय, सेमपुर, उमर्दा, कन्नौज	बी0ए0 तथा बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– प्राचार्य व याचित पाठ्यक्रमों में शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है।
26.	चौधरी चन्दन सिंह महाविद्यालय, कुतलूपुर, मकरन्द नगर, कन्नौज	एम0ए0 (हिन्दी साहित्य व शिक्षाशास्त्र विषय) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी दो वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– महाविद्यालय में याचित पाठ्यक्रम के विषयों में शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है। 2– एन.बी.सी. प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी से निर्गत नहीं है तथा अग्निशमन प्रमाणपत्र अद्यतन नहीं है।
27.	चौ. नत्थू सिंह महाविद्यालय, सहसारपुर, इटावा	बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– याचित पाठ्यक्रम हेतु शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है ।
28.	झाऊलाल गजोधर प्रसाद महिला महाविद्यालय, रसूलाबाद, कानपुर देहात	बी0ए0 (गृहविज्ञान व भूगोल अतिरिक्त विषय) तथा बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– याचित पाठ्यक्रम हेतु शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है।
29.	झाऊलाल गजोधर प्रसाद महिला महाविद्यालय, रसूलाबाद, कानपुर देहात	एम0ए0 (हिन्दी व शिक्षाशास्त्र) (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी दो वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– याचित पाठ्यक्रम हेतु शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है।
30.	श्री आत्माराम सुमित्रा देवी महाविद्यालय, नेविलगंज, बिधूना, औरैया	बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– प्राचार्य व याचित पाठ्यक्रम हेतु शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है। 2– एन0बी0सी0 प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है। 3– महाविद्यालय की चहारदीवारी निर्माणाधीन है।
31.	जय हनुमान प्रभात सिंह महाविद्यालय, बरहस, माधौगंज, हरदोई	बी0एससी0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– महाविद्यालय की चहारदीवारी व गेट निर्माणाधीन है तथा व्याख्यन कक्षों के फिनिशिंग का कार्य निर्माणाधीन है। 2– प्राचार्य व याचित पाठ्यक्रम हेतु शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं है।
32.	बाबा छेदन सिंह महाविद्यालय, सलेमपुर, कुइयां, हरदोई	बी0ए0 (प्रपत्र–बी)	निम्नलिखित कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमतिः– 1– महाविद्यालय में प्राचार्य तथा याचित पाठ्यक्रम के विषयों हेतु शिक्षक अनुमोदित नहीं है। 2– महाविद्यालय में फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। 3– संस्था के खाते में जमा धनराशि का अद्यतन सत्यापित अभिलेख संलग्न नहीं है।

(4) समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गयी है कि:–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–बी में इंगित समस्त कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. उपरोक्त सूची में जिन संस्थानों / महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता की पूर्वानुमति की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व सभी कमियों एवं शर्तो का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. विधि पाठ्यक्रमो में महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल आफ इंडिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे।

डा0 (इन्दू सक्सेना)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
कानपुर।

(अवध नारायण सिंह यादव)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
इलाहाबाद।

डॉ0 (राम सहाय)
क्षेत्रीय उच्च शिकक्षा अधिकारी,
लखनऊ

(सैय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज
विश्वविद्यालय, कानपुर।

डा0 (महेन्द्र राम)
निदेशक,
उच्च शिक्षा

(बी0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

(नीरज कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव